प्रेस नोट दिनांक- 08.11.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस व स्वाट टीम/सर्विलांस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.10.2025 को ग्राम बावरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट व हमला कर वादी व वादी के परिजनों को घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में 06 नामजद अभियुक्त कुछ साथी नाम पता अज्ञात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में घायल व्यक्ति रुद्र प्रताप पाण्डेय की श्री राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में ईलाज के दौरान दिनांक 03.11.2025 को मृत्यु हो गयी थी। उपरोक्त अभियोग में धारा 103 (1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम/सर्विलांस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191 (2)/191(3)/190/115 (2)/352/351(3)/131/109(1)/103 (1) BNS थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त सौरभ शुक्ला पुत्र शिवदत्त शुक्ला निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रातंर्गत उसरिहा जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का विवरण-
1. सौरभ शुक्ला पुत्र शिवदत्त शुक्ला निवासी ग्राम बावरिहा पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 हरिन्द कुमार यादव,उ0नि0 रोहित कुमार व का0 मुकेश कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम/सर्विलांस टीम- स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0 का0 धनन्जय राय, हे0 का0 मोहित राज यादव, का0 अरविन्द दुबे, का0 सलमान,का0 आशुतोश पाण्डेय, का०जागीर सिंह, चालक का0 राजेन्द्र कुमार, हे0 का0 पंकज लहरी,का0 सनोज,का0 सूर्यप्रताप सिंह जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आपराधिक विश्वासघात/टप्पेबाजी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया — फर्जी नम्बर प्लेट सहित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक-04.11.2025 को वादी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गई कि दिनांक 20.10.2025 को उसने अपनी बहन को देने हेतु हर्षित एजेंसी डेरवा से एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात सर्वेश त्रिपाठी नामक व्यक्ति से हुई, जिससे बाजार में दो-तीन दिनों तक बातचीत होती रही। दिनांक 03.11.2025 को सर्वेश वादी को उक्त मोटरसाइकिल पर बैठाकर मोहनगंज ले गया, जहां दोनों ने पार्टी की। इसके बाद सर्वेश वादी को विक्रमपुर मोड़ के पास एक मार्ग पर उतारकर यह कहकर चला गया कि वह किसी से मिलकर आता है, किंतु लौटकर नहीं आया और वादी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0-317/2025 धारा 316(2) बीएनएस बनाम सर्वेश त्रिपाठी पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अभिषेक सिंह वर्मा मय हमराह का0 विपिन कुमार एवं का0 मनीष पाण्डेय द्वारा क्षेत्र भ्रमण/संदिग्ध व्यक्तियों एवं

वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़वासी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 317/2025 धारा 316(2), 318(4), 336(2), 336(3), 340(2) बी.एन.एस से संबंधित अभियुक्त सर्वेश त्रिपाठी पुत्र संजय त्रिपाठी निवासी जानकीपूरवा (भाव), थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष को चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल (स्प्लेंडर प्लस) के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कूटरचित (फर्जी) नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 316(2), 318(4), 336(2), 336(3), 340(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण :
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि बरामद मोटरसाइकिल चोरी की है तथा पहचान छिपाने के लिये उस पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगा रखी थी। अभियुक्त ने बताया कि उसने यह मोटरसाइकिल सचिन कुमार निवासी जेठवारा से इस बहाने ली थी कि वह अपनी बुआ के घर से पैसे लेने जा रहा है। अभियुक्त ने आगे बताया कि उसने नम्बर प्लेट इसलिए बदली थी ताकि पुलिस को भ्रमित कर पकड़ से बच सके। आज वह उक्त मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सर्वेश त्रिपाठी पुत्र संजय त्रिपाठी निवासी जानकी पूरवा (भाव) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त सर्वेश त्रिपाठी पुत्र संजय त्रिपाठी निवासी जानकी पूरवा (भाव) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 193/2024 धारा 406, 419, 420 भादवि व 138 एन0आई0 एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 303/2024 धारा 406, 419, 420, 506 भादवि व 138 एन0आई0 एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 317/25 धारा 316(2), 318(4), 336 (2), 336(3), 340 (2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (कूटरचित नम्बर प्लेट के साथ) बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अभिषेक सिंह वर्मा मय हमराह का० विपिन कुमार, का0 मनीष पाण्डेय थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।</u>

थाना अंतू पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री आनन्द पाल सिंह के पर्वेक्षण में थाना अंतू के उ0नि0 रविंद्र कुमार यादव, उ0नि0 जगदेव यादव मय हमराह कां0 अंकित यादव, कां0 अवधेश यादव, म0का0 ज्योति द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87,137(2), 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त जितेंद्र सरोज पुत्र रामसुख सरोज निवासी ग्राम दांदूपुरन सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत पूरे रामदेव रायचन्दपुर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. जितेंद्र सरोज पुत्र रामसुख सरोज निवासी ग्राम दांदूपुरन सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रविंद्र कुमार यादव, उ0नि0 जगदेव यादव मय हमराह कां0 अंकित यादव, कां0 अवधेश यादव, म0का0 ज्योति थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।